

10.3.22

नोट प्रसिद्ध

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित
वारी अधिवक्ता द्वारा आदेशिका पर
नोट पेश कर वाद को आगे नहीं चलाने
का निवेदन किया है। वादी का वाद
नोट प्रैस में खारिज किया जाता है।
आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया
पत्रावली फॉर्मल शमा लोक नम्बर से
कम होकर द्वाखिल इफ्तार हो (5)

उपखण्ड अधिकारी
सौर लेख

